


अ.स.रफ.पी

निवेदन हेतु शाह बस्ती की खाता सं. 142 में  
शजनबाई बेवा मौदन धरि रिजार्ड हे जो कि सम्मान सुकक नहीं है,  
उक्त बेवा के बजाय शजनबाई धरिपति मौदन शुद्ध किया जाना उचित है।

 16/11/18  
कमल

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी द्वारा सु.क.नि. के आधार पर  
क्या सु.बजाय धरिपति किया जाना उचित है।

तहसीलदार  
रावतभारा (चिसोडगढ़)


13/11/18

प्रा.फ. 399/18  
01/06/2018

आदेश

हस्त राय तहसीलदार रावतभारा के आदेश पर  
ग्राम बस्ती की जमाबंदी संवत् 2073-76 के खाता  
सं. 142 में शजन बाई बेवा मौदन के बजाय शजन  
बाई धरिपति मौदन दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं।

2018/00351

  
सुपखण्ड अधिकारी  
रावतभारा